झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1124 वर्ष 2017

1. डॉ0 राम कुमार प्रसाद, पे0 स्वर्गीय हरिहर प्रसाद, ग्राम–बिशुनपुर, नाहर रोड, डाकघर, थाना और जिला–गढ़वा।

2. डॉ0 अनिल कुमार वर्मा, पे0–स्वर्गीय पचकौरी राम, गढ़वा, डाकघर, थाना और जिला–गढ़वा।

3. डॉ0 दिव्या प्रकाश पांडे, पे0 बागेश्वरी प्रसाद पांडे, निवासी–सुजान शिवपुरी, गढ़वा, डाकघर, थाना और जिला–गढ़वा।

4. डॉ0 कमल चंद्र झा, पे0 डॉ0 एल0एन0 झा, निवासी मोहल्ला–हमीदगंज, डाकघर एवं थाना–डाल्टेनगंज, जिला–पलामू।

5. डॉ0 शोभा रानी, पुत्री–दिवंगत राम सुमेर दुबे, निवासी–सर्वोदय नगर, जेलहाटा, डाकघर, थाना–डाल्टेनगंज, जिला–पलामू

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, अपने सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के माध्यम से जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है।

2. नीलाबर पीताम्बर विश्वविद्यालय अपने कुलपति कते माध्यम से, जिसका कार्यालय मेदिनीनगर, डाकघर एवं थाना–मेदिनीनगर, जिला–पलामू में है।

3. निबंधक, नीलाबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर जिसका कार्यालय डाकघर एवं थाना–मेदिनीनगर, जिला–पलामू में है।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन</u>**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री विशाल कुमार त्रिवेदी, अधिवक्ता

राज्य के लिए:– जी0ए0–III का जे0सी0

विश्वविद्यालय के लिए: डॉ0 श्री ए0के0 सिंह, अधिवक्ता का जे0सी0

03/12.06.2017 इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता लेक्चरर के पद से रीडर के पद पर पदोन्नति के उनके मामले पर विचार करने की प्रार्थना कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता वाई0एस0एन0एम0, मेदिनीनगर में विभिन्न विभागों में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उनके पास पाठक के पद पर पदोन्नत होने के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं हैं, लेकिन आज तक उनके मामले पर प्रतिवादियों द्वारा विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अंत में यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता योग्यता प्रोन्नति योजना के तहत पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए, वे पहले ही कुलपति, नीलाबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के समक्ष अभ्यावेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनके अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यह पर्याप्त होगा यदि उनके अभ्यावेदन को निपटान का निर्देश दिया जाता है। नीलाबर पीताम्बर विशविद्यालय के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार किया जाएगा और यदि वे पात्र पाए जाते हैं और कानून अनुमति देता है, तो उनके मामले को कानून के अनुसार पदोन्नति के लिए अगेषित/अनुशंसित किया जाएगा।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा निबंधक, नीलाबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर याचियों के अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश देकर किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र पाए जाते हैं, तो उसके बाद के तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाताओं द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)